न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 05/2021 दायरा दिनांक 28.09.2020

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रामदयाल पुत्र चिन्टू जाति सहरिया निवासी बीलखेडा डांग तहसील शाहबाद जिला–बारां।
2. सहोदा पुत्री चिन्टू जाति सहरिया निवासी बीलखेडा डांग तहसील शाहबाद जिला–बारां।

– अपीलाण्टगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां – राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री वीरेन्द अग्रवाल – अभिभाषक अपीलान्ट।

पैराकार सरकार – रेस्पोडेन्ट।

निर्णय दिनांक 23.06.2022

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 56 दिनांक 31.03.1977 ग्राम बीलखेडा डांग तहसील शाहबाद जिला बारां

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.03.1977 ग्राम बीलखेडाडांग को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

अपीलान्ट्स क्रम 1 व 2 आपस में सगे भाई बहिन है अपीलान्ट्स के पिता चिन्टू पुत्र सोवतिया जाति सहरिया निवासी बीलखेडाडांग के खाते की आराजियात ग्राम बीलखेडा डांग के खसरा नम्बर 289 रकबा 7.12 बीघा हिस्सा पूर्ण तथा ग्राम बीलखेडा डांग के ही खसरा नम्बर 313 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 314 रकबा 6.12 बीघा, खसरा नम्बर 315 रबा 0.18 बीघा एवं खसरा नम्बर 320 रकबा 3.15 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 11.07 बीघा हिस्सा 1/5 रही है अपीलान्ट्स के पिता के देहान्त के बाद सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत [illegible] किया गया जो मात्र अपीलान्ट क्रम 1 के नाम दर्ज किया गया है अपीलान्ट क्रम 2 मृतक खातेदार [illegible] पुत्री होकर अपीलान्ट क्रम 1 के समकक्ष विरासत में हिस्सा प्राप्त करने की हकदार [illegible] सम्मानीय [illegible] न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार की विरासत अकेले अपीलान्ट क्रम 1 के नाम [illegible] की है सम्मानीय अधी[illegible]यालय द्वारा प्रश्नगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:49 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण पर पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट्स को कोई सूचना दिये बिना खोला जाकर मात्र अपीलान्ट क्रम 1 का नाम लिखकर तस्दीक किया गया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट्स को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.09.2021 को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई है धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित कारणों पर डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्यम प्रस्तुत है

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को एक पक्षिय बहस सुनी गई। अपीलान्ट अधिवकक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुय कथन किया कि अपीलान्ट क्रम 1 व 2 के पिता चिन्टू थे। इन्तकाल नम्बर 56 दिनांक 31.03.1977 में केवल रामदयाल का नाम दर्ज कर दिया। जबकि सहोदा का नाम भी पुत्री होने के आधार पर हिन्दु उत्तराधिकारी नियम के तहत दर्ज किया जाना था। अपीलान्ट क्रम 1 व 2 का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इन्तकाल नम्बर 56 दिनांक 31.03.1977 में केबल रामदयाल के नाम तस्दीक किया गया है। तथा अपीलान्ट क्रम 2 का नाम नामान्तरकरण में अंकित नहीं किया गया है। जो विधिक रूप से सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट क्रम 2 का नाम छोडा जाना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम सहरोल तलेटी का इंतकाल नं. 1060 दिनांक 29.01.2007 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से प्रकरण की भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार वास्तविक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। मूल इंतकाल नं. 1060 दिनांक 29.01.2007 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पारिवारिक सजरे के अनुसार मृतक मूला की दो सन्तान हैं मोहनलाल पुत्र व पतरो पुत्री रेस्पोडेण्ट क्रम 2 दक्खो, मोहनलाल की पत्नि है, पतरो पत्नि खैरू (अपीलान्ट) मौजूद होना व दक्खो, मोहनलाल की पत्नि होना पाया जाता है। हमने ग्राम शुभघरा के मूल इंतकाल नं. 1060 दिनांक 29.01.2007 का अवलोकन किया जिसमें मृतक मूला के स्थान पर नामान्तकरण मोहनलाल पुत्र मूला व दक्खो वेबा मूला के नाम तस्दीक किया गया है। तथा अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण में अंकित नहीं किया गया है। जो विधिक रूप से सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का नाम छोडा जाना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम बीलखेडा डांग का इंतकाल नं. 56 दिनांक 31.03.1977 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 16:28:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण की भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार वास्तविक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। मूल इंतकाल नं. 56 दिनांक 31.03.1977 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:49 IST
Reason: SelfAttested